भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 200**

दिनांक 12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए

**महिला चालकों को राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाना**

**\*200. श्री मोहम्मद अली खानः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक परिवहन सुविधा में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला चालकों को ई-रिक्शा चलाने हेतु राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से ऋण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

**उत्तर**

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

1. और (ख) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्‍तुत है ।

**\*\*\*\*\***

**''महिला चालकों को राष्ट्रीय महिला कोष के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाना'' विषय पर श्री मोहम्मद अली खान द्वारा दिनांक 12 मई, 2016 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 200 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

(क) और (ख) : राष्‍ट्रीय महिला कोष मध्‍यवर्ती संगठनों (आईएमओ) जिसमें धारा 8 की कंपनियां, महिला विकास संगठन (डब्‍ल्‍यूडीओ), गैर सरकारी संगठन(एनजीओ) आदि शामिल हैं, के माध्‍यम से अनौपचारिक क्षेत्र में मुख्‍यरूप से आय अर्जन की गतिविधियों के लिए महिला लाभार्थियों को सूक्ष्‍म वित्‍त प्रदान करता है । व्‍यक्‍तिगत लाभार्थी जो किसी एक समूह अर्थात स्‍वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्‍त देयता समूह(जेएलजी), ग्रामीण मॉडल-जेएलजी, महिला मंडल तथा केंद्र/राज्‍य सरकार या किसी राष्‍ट्रीय या राज्‍य मिशन एवं स्‍कीम द्वारा संवर्धित अन्‍य प्रकार के समूह के सदस्‍य होते हैं, भी राष्‍ट्रीय महिला कोष से सीधे ऋण प्राप्‍त कर सकते हैं ।

चूंकि ई रिक्‍शा आय अर्जन की गतिविधियों की श्रेणी में आएगा, अत: आवेदक स्‍कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार (अर्थात एनजीओ के लिए अधिकतम सीलिंग (एक राज्‍य के लिए 2 करोड़ रुपये अथवा 3 राज्‍यों के लिए 6 करोड़ रुपये तथा नए/आवर्ती ऋणग्राही के लिए प्रति लाभार्थी 35,000/-रुपये/50,000/-रुपये) के अधीन) राष्‍ट्रीय महिला कोष से ऋण प्राप्‍त करने के लिए पात्र होंगे ।

\*\*\*\*\*